भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– 1632

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 में सुधार

1632. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच सहयोग की कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) क्या इस अधिनियम के तहत उपलब्ध अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान में कोई विशेष सूचना अभियान चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों को इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के संबंध में अदालतों में विवादों का सामना करना पड़ रहा हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कानूनी सुधार लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): जी नहीं। नोडल मंत्रालय होने के नाते, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, एफआरए) के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रहा है और राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया में क्षेत्र स्तर की समस्याओं को हल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सुगम बनाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एफआरए कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिनांक 06.07.2021 और 14.03.2024 को दो संयुक्त परामर्शियां जारी की हैं।

भारत सरकार ने **'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए)** की योजना शुरू की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं (आवास से संबंधित, पीएम किसान सम्मान निधि, पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाएं, कृषि विभाग, मत्स्य पालन

विभाग) के लाभों को एफआरए पट्टा धारकों तक पहुंचाने पर केंद्रित है ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 'संभावित वन क्षेत्रों का मानचित्रण करने तथा एफआरए एटलस तैयार करने' के लिए प्रविधियां भी दी हैं, जो वन अधिकारों के प्रभावी निहितिकरण तथा इसके लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए एक निगरानी तथा मूल्यांकन उपकरण होगा।

इसके अतिरिक्त, डीए-जेजीयूए के तहत, जिलों और ग्राम सभाओं को सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत ढांचे की स्थापना के लिए, मंत्रालय राज्य सरकारों को **समर्पित एफआरए प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करने** के लिए निधियां भी प्रदान कर रहा है। समर्पित टीम का कार्य प्रगति की निगरानी, रिपोर्टिंग और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अलावा दावेदारों को दावे दाखिल करने में सहायता प्रदान करना और आवश्यक डेटा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना होगा।

एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राजस्थान सहित) और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), डीए जेजीयूए के तहत सभी 20 एफआरए कार्यान्वयन राज्यों (राजस्थान सहित) और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विशेष क्षमता निर्माण अभियान चला रहे हैं ताकि वन निवासी समुदायों/ग्राम सभाओं सहित सभी हितधारकों के बीच एफआरए के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (डीएलएमटी) को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें राजस्थान के एसएलएमटी और डीएलएमटी ने भी भाग लिया। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत राज्य वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के एक भाग के रूप में पीईएसए (पेसा) और एफआरए पर प्रशिक्षण को शामिल करने और इन विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की भी सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, 15 नवंबर, 2024 को जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर पूरे देश में विशेष ग्राम सभाएं सह-अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। और जैसा कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बताया गया है, राजस्थान में 25 जिलों के 3930 गांवों, 1891 ग्राम पंचायतों, 143 ब्लॉकों ने भाग लिया था।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और मूल्यांकन अध्ययनों का भी समर्थन करता है और ऐसे अध्ययनों को करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर निधियां उपलब्ध कराता है। कई राज्यों ने अधिनियम, दिशा-निर्देशों आदि का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है।

(घ): वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में देश के विभिन्न न्यायालयों में पंजीकृत विभिन्न मामलों में मंत्रालय को भी पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान वन अधिकार अधिनियम और नियम विभिन्न कानूनी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम होने के कारण मंत्रालय के पास किसी भी कानूनी सुधार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियाओं के संबंध में समुदाय सहित सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

*****